"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016— आश्विन 1, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–6/आठ–परि./2016. — यतः, राज्य शासन की राय है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शांति नगर, सुपेला–भिलाई, जिला दुर्ग के स्वामित्व के मोटरयान, वाहन क्रमांक सी.जी.–07–एमबी/5691 को जनहित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन है ।

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शांति नगर, सुपेला–भिलाई, जिला दुर्ग के स्वामित्व के मोटरयान, वाहन क्रमांक सी.जी.–07–एमबी/5691 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है ।

No. F 5-6/8-Tran./2016. — Whereas, The State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the moter vehicles owned by the Missionaries of Charity, Shanti Nagar, Supela-Bhilai, District Durg, Vehicle Number C.G-07-MB/5691, from payment of motor vehicle tax in the public interest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991(No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicle owned by the Missionaries of Charity, Shanti Nagar, Supela-Bhilai, District Durg, Vehicle Number C.G-07-MB/5691, from the payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam with effect from the date of issue of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.